राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ9(4)(4)छात्र./सान्याअवि/2020-21/ 10596 दिनांक : 17-3-2021

आदेश

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को अंकतालिका उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा गत वर्ष में परीक्षा के आयोजन की दशा में छात्रवृति आवेदन पत्र में गत वर्ष की अंकतालिका को मान्य किया जाता है, यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा गत वर्ष में परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है तो छात्रवृति आवेदन पत्र में गत वर्ष की अंकतालिका के स्थान पर विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने हेतु अनिवार्य किये गये विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में शिथिलता दिया जाकर शिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रौन्नत के प्रमाण पत्र/साक्ष्य को मान्य किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ9(4)(25)छात्र./सान्याअवि/सरलीकरण/2020-21/ 10597-800 दिनांक : 17-3-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. सयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त............. ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.. ।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.......................... ।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त................. ।
17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.............................. ।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं............................ ।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

17/03/2021

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

E/:letter and note sheet 2019-20/ 926

Scanned with CamScanner